हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

कार्यसूची

ग्यारहवां सत्र

बुधवार, 6 अप्रैल, 2016/17 चैत्र, 1938(शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

1. **प्रश्नोत्तर:**

(1) **तारांकित :**

दिन के लिए } पृथक सूची में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

(2) **अतारांकित :**

दिन के लिए } पृथक सूची में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

2. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव:

(1) **डॉ0 राजीव बिन्दल**, "दिनांक 3 अप्रैल, 2016 को दैनिक भास्कर समाचार-पत्र में छपे समाचार शीर्षक **"करोड़ों के सलाहकारों ने नहीं भरी सुपरविज़न शीट"** से उत्पन्न स्थिति की ओर **मुख्य मन्त्री** का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

(2) **श्री सतपाल सिंह सत्ती**, **"जिला ऊना के अन्तर्गत अम्ब में स्थित 'दि कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक', से 19.50 करोड़ रूपये के ऋण घोटाले "** से उत्पन्न स्थिति की ओर **सहकारिता मन्त्री** का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

3. <u>गैर-सरकारी सदस्य कार्य</u> :

"संकल्प"

(गैर-सरकारी सदस्य के संकल्पों की सूची संलग्न है)

शिमला-171 004 सुन्दर सिंह वर्मा,
दिनांक: 5 अप्रैल, 2016 सचिव ।

*****

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)

हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

गैर-सरकारी सदस्य कार्य

'संकल्प'

ग्यारहवां सत्र

बुधवार, दिनांक 6 अप्रैल, 2016, को चर्चा हेतु लिए जाने वाले गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों की सूची:

क्र0सं0	सदस्य का नाम	उद्धरण
1.	**श्री वीरेन्द्र कंवर:**	"यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार से औद्योगिक पैकेज की तर्ज पर पर्यटन पैकेज की मांग की जाए ।"
2.	**श्री महेन्द्र सिंह:**	"यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश में राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय एवं प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विभिन्न वानिकी परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु एक ठोस नीति का गठन किया जाए।"
3.	**श्री गुलाब सिंह ठाकुर:**	"यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश में एक ही समुदाय व व्यवसाय से जुड़े तरखान जाति (OBC) को लोहार जाति की तर्ज पर अनुसूचित जाति (SC) में सम्मिलित करने हेतु प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा जाए । "
उक्त के अतिरिक्त निम्न प्रस्ताव जो दिनांक 10-3-2016 को सदन में प्रस्तुत किया जा चुका है पर भी चर्चा होगी ।		
	श्री रविन्द्र सिंह :	"यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश में विश्व बैंक या विदेशी सहायता द्वारा पोषित विभिन्न योजनाओं से वंचित पंचायतों में विकास की गति को बढ़ावा देने के लिए परियोजनाओं को तत्काल स्वीकृति हेतु विश्व बैंक या विदेशी सहायता के लिए भेजा जाए ।"

सचिव,
हि0प्र0 विधान सभा ।

****